CGRP010040442021

FORM - D

IN THE COURT OF - **SPECIAL JUDGE (N.D.P.S. ACT), RAIPUR DISTRICT RAIPUR (C.G.)** Presiding Officer - **Shri Pankaj Kumar Sinha**	
[Special Case No.] - **108/2021** (Details of FIR No. - **232/2021** / crime and Police Station) - Police Station **Telibandha, Raipur** Distt. - Raipur (C.G) [Date of the Judgement] - **04-03-2025**	
Complainant	STATE OF CHHATTISGARH **Police Station Telibandha, Raipur** **District-Raipur (C.G)**
REPRESENTED BY	SHRI K.K.Chandrakar, Spl. PUBLIC PROSECUTOR
ACCUSED	**Dayaram Yadav @ Golu** S/o Rahul Yadav, Age-32 Years, R/o Mauli Para, Telibandha, P.S. Telibandha, Raipur, Distt. Raipur (C.G.)
REPRESENTED BY	**Shri Ashish Shrivastava,** Chief Legal and Defence Counsel

FORM - E

Date of offence	28-06-2021

विशेष दांडिक प्रकरण (एन.डी.पी.एस.) क्र. 108/2021
छत्तीसगढ़ राज्य विरूद्ध दयाराम यादव उर्फ गोलू

Date of FIR	29-06-2021
Date of Charge sheet	25-08-2021
Date of framing of charges	04-12-2021
Date of commencement of Evidence	14-02-2022
Date of which judgement is reserved	28-02-2025
Date of the judgement	04-03-2025
Date of the sentencing Order, If any	04-03-2025

Accused Details

Rank of accused	Name of accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1	**Dayaram Yadav @ Golu** S/o Rahul Yadav	29-06-2021	**02-11-2021**	**NDPS ACT Section - 21 (B), 22 (B)**	Convicted & fined	**For Us 21 (B) of NDPS ACT Rigorous Imprisonment for 05 Years and 50,000/- fined, For Us 22 (B) of NDPS ACT Rigorous Imprisonment for 05 Years and 50,000/- fined**	29-06-2021 to 02-11-2021

FORM - F

S. No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgement	1
2	Appearance of Advocates	1
3	Charge	3-4
4	Admitted Facts	4
5	Prosecution Story	4-7
6	Reasons of findings	9-33
7	Sentence	34
8	Period Of Detention & Set-Off	34-35
9	Disposal of Property	35
10	Order of Compensation	-
11	Certificate under section 428 Cr. P. C.	36
12	Warrant of Commitment on a sentence(Imprisonment of fine)	37-38
13	Copy of judgement	35

–: निर्णय :–

(आज दिनांक 04.03.2025 को घोषित)

01– अभियुक्त के विरूद्ध **स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** (जिसे निर्णय के आगे की कंडिकाओं में "अधिनियम" के नाम से संबोधित किया जावेगा) की धारा 21 (B) एवं 22 (B) के अधीन यह आरोप है कि वह दिनांक 29.06.2021 को समय करीब 01.45 बजे स्थान : मोर रायपुर बोर्ड के पास, मरीन ड्राईव, तेलीबांधा, थाना तेलीबांधा जिला रायपुर छ.ग. क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधियां तथा मन : प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गये नियम एवं

आदेश के उल्लंघन में SPA - TRANCAN PLUS कैप्सूल कुल दो पत्ता, प्रत्येक पत्ते में 8–8 नग कैप्सूल, एक कैप्सूल का वजन **0.60 ग्राम,** कुल **16 नग कैप्सूल** का वजन **9.6 ग्राम** तथा CUREX COUGH SYRUP कुल **9 नग शीशी/बाटल**, प्रत्येक मे **100 एमएल** भरा हुआ कुल मात्रा **900 एमएल** को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा पाया गया ।

02– प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण निर्विवादित तथ्य नहीं है ।

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.2021 को थाना तेलीबांधा की उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा को मुखबीर से सूचना मिली कि तेलीबांधा, मरीन ड्राइव, मोर रायपुर बोर्ड के पास एक आदमी जिसका नाम गोलू उर्फ दयाराम है, अपने कब्जे में अवैध रूप से प्रतिबंधित एवं मनोत्तेजक स्वापक औषधि अपने पास बिक्री हेतु रखा है एवं ग्राहक का इंतजार कर रहा है, उक्त सूचना को थाना तेलीबांधा के रोजनामचा सान्हा में दर्ज किये जाने के पश्चात आरक्षक क्रमांक 1724 अमित सिन्हा को दो स्वतंत्र साक्षियों तलब करने के लिये रवाना किया गया, जो दो स्वतंत्र साक्षियों मिलन तोलानी एवं शुभम् कारवानी को लेकर थाना तेलीबांधा में उपस्थित हुआ, दोनों स्वतंत्र साक्षियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन नोटिस देकर मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया और मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया गया तथा संदेही के आधिपत्य में मनोत्तेजक स्वापक औषधि जप्त करने में होने वाले विलंब से उसके फरार

हो जाने एवं माल के अफरा–तफरी की संभावना के पंचनामा तैयार किया गया तथा मुखबीर सूचना पंचनामा एवं उसके प्रतिवेदन को सी.एस.पी.सिविल लाईन रायपुर को प्रेषित कराया गया ।

04– अभियोजन का मामला आगे ऐसा भी है कि हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 1724 अमित सिन्हा, आरक्षक क्र. 1789 रामनारायण पटेल, सैनिक 303 प्रशांत कौरव के साथ दोनों स्वतंत्र साक्षियों को लेकर शासकीय पुलिस वाहन क्रमांक सी.जी.03/8342 में इलेक्ट्रानिक तराजू, सील चपड़ा, प्लास्टिक डिब्बा, प्रोफार्मा कागजात, रस्सी, मोमबती, माचिस एवं आवश्यक कागजात लेकर मुखबीर के बताये स्थान के लिये रवाना हुये, जहां मरीन ड्राइव, मोर रायपुर बोर्ड, तेलीबांधा के पास संदेही मिला, जिसे रोककर पूछने पर उसने अपना नाम **गोलू उर्फ दयाराम यादव** होना बताया, उसे मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया और सूचित किया गया कि वह अपनी तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करा सकता है, जिस पर संदेही ने रेडकर्ता अधिकारी से ही अपनी तलाश कराने हेतु सहमति प्रदान किया, तत्पश्चात रेडकर्ता अधिकारी स्वयं का दोनों हाथ उठाकर व अपनी वर्दी के जेबों को दिखाकर अभियुक्त से तलाशी कराया एवं मौके पर उपस्थित पुलिस फोर्स के सदस्यों एवं स्वतंत्र साक्षियों का तलाशी अभियुक्त से कराया गया, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुआ ।

05– अभियोजन का मामला आगे ऐसा भी है कि अभियुक्त की तलाशी के

दौरान उसके पास रखे सफेद रंग के झोले की तलाशी लिया गया, जिसमें मनोत्तेजक एवं स्वापक औषधि **SPAS - TRANCAN PLUS** के कुल दो पत्ते प्रत्येक पत्ते में 08–08 नग कैप्सूल, कुल **16 नग** कैप्सूल बरामद हुआ, जिसका साथ में लाये इलेक्ट्रानिक तराजू से उसका भौतिक सत्यापन किये जाने के पश्चात वजन लिये जाने पर 1 कैप्सूल का वजन 0.60 ग्राम पाया गया, कुल 16 नग कैप्सूल का वजन 9.6 ग्राम होना पाया गया, अभियुक्त के आधिपत्य में पाये गये झोले में **CUREX COUGH SYRUP** जिसमें CODEINE PHOSPHATE 10 mg लिखा है, उसका **9 बॉटल** प्राप्त हुआ, जिसमें 100–100 एमएल सिरप भरा सील पैक था, जिसे गवाहों के समक्ष तौल कराये जाने पर कुल 133 ग्राम होना पाया गया, इस प्रकार 9 शीशी में कुल 900 एमएल CUREX COUGH SYRUP होना पाया गया, जिसतमें बैच नंबर, उत्पादन तिथि का लेखकर, गवाहों के समक्ष अभियुक्त से उसको बरामद कर, पंचनामा तैयार किया गया । तत्पश्चात अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अधीन नोटिस दिये जाने पर वह अपने आधिपत्य में पाये गये उपरोक्त प्रतिबंधित कैप्सूल एवं सिरप के संबंध में कोई वैधानिक अधिकार पत्र, अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, तब उसे मौके पर स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष जप्त कर, जप्ती पत्रक तैयार किये गये ।

06– अभियोजन का मामला आगे ऐसा भी है कि अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद किये गये कुल 16 नग कैप्सूल में से 01 पत्ता 08 नग कैप्सूल को निकाल कर

उसे सैम्पल के रूप से पृथक से गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया । इसी प्रकार 9 नग प्रतिबंधित कफ सिरप में से 2 शीशी/बॉटल को परीक्षण हेतु सैम्पल निकाल कर, सीलबंद किया गया, शेष 7 नग शीशी को पृथक से सीलबंद किया गया और सफेद रंग के झोला, जिसमें अभियुक्त ने प्रतिबंधित मनोत्तेजक एवं स्वापक औषधि रखा था, उक्त झोले को गवाहों के समक्ष पृथक से सीलबंद किया गया । अभियुक्त का कृत्य पृथक दृष्टया एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 के अधीन दण्डनीय अपराध होना से, मौके पर देहाती नालिसी पर अपराध पंजीबद्ध कर, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त एवं उससे सजपत किये गये मनोत्तेजक औषधि के साथ उसे थाना **तेलीबांधा** लाया गया, जहां पर विधिवत अपराध कमांक **232/2021** पंजीबद्ध कर, अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त मनोत्तेजक औषधि का परीक्षण एफ.एस.एल. एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग रायपुर से कराया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

07– मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध **स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** की धारा **21 (B)** एवं **22 (B)** के अधीन दण्डनीय आरोप पत्र विरचित कर उसे पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने अपराध करने से अस्वीकार किये तथा उसका परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किये जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होने का अभिकथन किया है ।

08– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में अभियोजन साक्षियों – मिलन तोलानी (अ.सा.क्र.01), अमित सिन्हा (अ.सा.क्र.02), शुभम् कारवानी (अ.सा.क्र.03), रामनारायण पटेल (अ.सा.क्र.04), घनश्याम देवांगन (अ.सा.क्र.05), प्रशांत कौरव (अ.सा.क्र. 06), विपुल सिंह (अ.सा.क्र.07), सूरज सिंह चेलक (अ.सा.क्र.08), सुरेन्द्र कुमार साहू (अ.सा. क्र.09), टेकचंद घिरहे (अ.सा.क्र.10), दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11), अनिल भगत (अ.सा.क्र.12), सुदर्शन पनका (अ.सा.क्र.13) एवं उमाशंकर राठौर (अ.सा.क्र.14) का कथन न्यायालय में दर्ज कराया है, जबकि बचाव पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में किसी भी बचाव साक्षी का कथन न्यायालय में दर्ज नहीं कराया है ।

09– इस प्रकरण में मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

'क्या अभियुक्त दिनांक 29.06.2021 को समय करीब 01.45 बजे स्थान : मोर रायपुर बोर्ड के पास, मरीन ड्राईव, तेलीबांधा, थाना तेलीबांधा जिला रायपुर छ.ग. क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधियां तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गये नियम एवं आदेश के उल्लंघन में **SPA - TRANCAN PLUS** कैप्सूल कुल दो पत्ता, प्रत्येक पत्ते में 8–8 नग कैप्सूल, एक कैप्सूल का वजन 0.60 ग्राम, कुल **16 नग कैप्सूल** का वजन **9.6 ग्राम** तथा **CUREX COUGH SYRUP** कुल **9 नग** शीशी/बाटल, प्रत्येक मे **100 एमएल** भरा हुआ कुल मात्रा **900 एमएल** को अवैध रूप से अपने

आधिपत्य में रखा पाया गया ?"

–: सकारण निष्कर्ष :–

10– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला स्वयं अपनी ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के द्वारा युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करना चाहिये, ओर यदि अभियोजन का मामला संदेहास्पद होना प्रतीत हो, तब संदेह का लाभ अभियुक्त पक्ष को दिया जाना चाहिये ।

11– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) का कथन न्यायालय में दर्ज कराया है, जो अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन की है कि *"दिनांक **28/06/2021** को मुझे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि मरीन ड्राईव तेलीबांधा मोर रायपुर बोर्ड के पास एक आदमी जिसका नाम **गोलू उर्फ दया** है, अपने कब्जे में अवैध रूप से **प्रतिबंधित एवं मनोत्तेजक स्वापक औषधि** अपने पास बिक्री करने हेतु रखा है तथा ग्राहक का तलाश कर रहा है, उक्त सूचना रोजनामचा सान्हा कमांक **47, दिनांक 28/06/2021** में दर्ज है, जो **प्रपी–34** है, जिसकी प्रति **प्रपी–34सी** है।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"उक्त सूचना पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मैने **आरक्षक क. 1724 अमित सिन्हा** को दो स्वतंत्र साक्षी को तलब कर लाये जाने हेतु निर्देशित किया था,*

उक्त आरक्षक का रवानगी रोजनामचा सान्हा क्रमांक ***49, दिनांक 28/06/2021*** *में दर्ज है, जो* ***प्रपी–35*** *है, जिसकी प्रति* ***प्रपी–35सी*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 3 के चौथे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"आरक्षक द्वारा स्वतंत्र साक्षी* ***मिलन तोलानी एवं शुभम कारवानी*** *को तलब कर थाना लेकर आया था, उक्त आरक्षक का वापसी रोजनामचा सान्हा क्रमांक* ***50, दिनांक 28/06/2021*** *में दर्ज है, जो* ***प्रपी–36*** *है, जिसकी प्रति* ***प्रपी–36सी*** *है ।"*

12– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) ने आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने साक्षीगण को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर उनसे कार्यवाही में गवाह के रूप में* ***सहमति प्राप्त कर,*** *उन्हें धारा 160 दंप्रसं का नोटिस दिया था, जो* ***प्रपी–01*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 5 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मैने गवाहों के समक्ष* ***मुखबिर सूचना पंचनामा प्रपी–02*** *एवं* ***बिना वारंट तलाशी पंचनामा प्रपी–03*** *तैयार की थी ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 5 के दूसरे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने तैयार* ***मुखबिर सूचना पंचनामा एवं बिना वारंट तलाशी पंचनामा का प्रतिवेदन आरक्षक क्रमांक 2689 अनिल भगत*** *के माध्यम से* ***सीएसपी सिविल लाईन रायपुर*** *को प्रेषित कर पावती*

प्राप्त करने हेतु निर्देशित की थी, आरक्षक का रवानगी रोजनामचा सान्हा क्रमांक ***53, दिनांक 28/06/2021*** *में दर्ज है, जो* ***प्रपी–37*** *है, जिसकी प्रति* ***प्रपी–37सी*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 5 के छठवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"आरक्षक द्वारा उक्त डाक सीएसपी कार्यालय में देकर पावती प्राप्त कर, थाना वापस आया था, उक्त आरक्षक का वापसी रोजनामचा सान्हा क्रमांक* ***58, दिनांक 28/06/2021*** *में दर्ज है, जो* ***प्रपी–38*** *है, जिसकी प्रति* ***प्रपी–38सी*** *है ।"*

13– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) ने आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 6 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"उपरोक्त कार्यवाही पश्चात् मैं, अपने हमराह स्टाफ, स्वतंत्र साक्षियों तथा विवेचना संबंधी एनडीपीएस किट एवं* ***डिजिटल तौल मशीन लेकर*** *शासकीय वाहन से घटना स्थल रवाना हुए थे, मेरी रवानगी रोजनामचा सान्हा क्रमांक* ***55, दिनांक 28/06/2021*** *में दर्ज है, जो* ***प्रपी–39*** *है, जिसकी प्रति* ***प्रपी–39सी*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 7 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"घटना स्थल पहुॅचने के पश्चात् मुखबिर के बताये अनुसार अभियुक्त मिला था, जिसे हम लोगों ने घेराबंदी कर पकड़े थे, नाम पूछने पर उसने अपना नाम* ***गोलू उर्फ दयाराम*** *बताया था, मैने उसे मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुए तलाशी संबंधी उनके अधिकारों से अवगत करायी*

थी और यह बतायी थी कि आप ***अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से करा सकते है,*** *उक्त संबंध में मेरे द्वारा आरोपी को दिया गया* ***धारा 50*** *एनडीपीएस एक्ट का नोटिस* ***प्रपी–04*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 7 के छठवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"आरोपी द्वारा* ***मुझसे तलाशी कराने हेतु सहमति प्रदान किया था,*** *इस संबधं में मैने* ***सहमति पंचनामा*** *तैयार किया था, जो* ***प्रपी–07*** *है ।"*

14– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) ने आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 8 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने* ***आरोपी*** *से स्वयं एवं हमराह स्टाफ की तलाशी करायी थी, इस संबंध में मौके पर तैयार* ***तलाशी पंचनामा प्रपी–05*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 8 के दूसरे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने आरोपी से दोनों स्वतंत्र गवाहों की तलाशी करायी थी, इस संबंध में मौके पर तैयार* ***तलाशी पंचनामा*** *जो* ***प्रपी–06*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 9 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने* ***अभियुक्त*** *के द्वारा के संबंध में सहमति दिये जाने पर मैने उनका विधिवत तलाशी लिया था, इस संबंध में* ***अभियुक्त*** *का* ***तलाशी एवं बरामदगी पंचनामा*** *कमशः* ***प्रपी–08*** *एवं* ***प्रपी–09*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन

कथन की इसी कंडिका 9 के तीसरे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे के एक सफेद रंग के झोले में औषधि* ***स्पासट्रकण प्लस 02 पत्ता****, प्रत्येक पत्ता में 8–8 नग कैप्सूल कुल* ***16 नग कैप्सूल*** *तथा* ***कोरेक्स कफ सिरप*** *कुल* ***09 शीशी****, प्रत्येक शीशी में* ***100एमएल*** *भरा हुआ मिला था, मैने आरोपी से बरामद प्रतिबंधित कैप्सूल एवं कफ सिरप की पहचान मौके पर कर,* ***पहचान पंचनामा*** *तैयार की थी, जो* ***प्रपी–10*** *है ।*

15– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) ने आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 10 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने* ***अभियुक्त*** *को नशीली कैप्सूल एवं कफ सिरप रखे जाने के संबंध में वैध दस्तावेज, अनुज्ञा पत्र अथवा अनुज्ञप्ति पेश करने हेतु* ***धारा 91*** *दंप्रसं का नोटिस दी थी, जो* ***प्रपी–14*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 11 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने आरोपी से बरामद नशीला कैप्सूल की तौल कार्यवाही हेतु विवेचना किट में साथ ले गये डिजिटल तौल मशीन का* ***भौतिक सत्यापन*** *की थी, जो* ***प्रपी–11*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 11 के तीसरे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने उपस्थित आरक्षक 1724 अमित सिन्हा को आरोपी से बरामद नशीला कैप्सूल का तौल करने हेतु निर्देशित की थी,* ***एक नग कैप्सूल का वजन 0.60***

ग्राम होना पायी थी, *तथा* ***कुल 16 नग कैप्सूल का कुल वजन 9.6 ग्राम*** *होना पायी थी एवं एक नग नशीला कफ सिरप का वजन शीशी सहित* ***133 ग्राम*** *होना पायी थी, उक्त संबंध में तैयार* ***तौल पंचनामा प्रपी–12*** *है ।"*

16– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) ने आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 12 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद नशीला कैप्सूल के दो पत्ता में से* ***एक पत्ता जिसमें 08 नग कैप्सूल था,*** *जिसे परीक्षण हेतु सैंपल पैकेट की थी, जिसे सीलबंद कर प्रदर्श* ***ए*** *से मार्क की थी, एक नग नशीला कैप्सूल जिसे तौल हेतु निकाली थी, को सीलबंद कर, प्रदर्श* ***ए–1*** *से मार्क की थी, जिसे पत्ते से कैप्सूल निकाली थी, उसे सीलबंद कर,* ***प्रदर्श ए–2*** *से मार्क की थी, इसी प्रकार कोरेक्स कफ सिरप* ***कुल 09 नग शीशी*** *मे से परीक्षण हेतु* ***02 नग कफ सिरप*** *को पृथक कर सैंपल पैकैट तैयार कर सीलबंद की थी, जिसे प्रदर्श* ***बी*** *से मार्क की थी, बाकी बचे 07 नग कफ सिरप को सीलबंद* ***बी–1*** *से मार्क की थी ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 12 के सातवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने जिस सफेद रंग के झोले में उक्त प्रतिबंधित कैप्सूल एवं सिरप रखा गया था, उसे प्रदर्श* ***सी*** *से मार्क कर सीलबंद की थी। मैने* ***अभियुक्त*** *के आधिपत्य में पाये गये नशीला कैप्सूल एवं नशीला कफ सिरप एवं उसमें से तैयार सैंपल पैकेट को*

गवाहों के समक्ष जप्त की थी, ***जप्ती पत्रक प्रपी–13*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 12 के ग्यारहवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने* ***अभियुक्त*** *से बरामद नशीली कैप्सूल एवं कफ सिरप को मौके पर सीलबंद की थी, जिसके संबंध में* ***सीलबंद पंचनामा*** *तैयार की थी, जो* ***प्रपी–18*** *है ।"*

17– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) ने आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 13 के पांचवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने घटना स्थल पर ही* ***अभियुक्त*** *के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के अधीन अपराध घटित होना पाये जाने के कारण* ***देहाती नालसी*** *में अपराध पंजीबद्ध की थी, जो* ***प्रपी–40*** *तैयार की थी ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 14 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही मौके पर करने के पश्चात् मैं, हमराह स्टाफ, जप्तशुदा संपत्ति,* ***अभियुक्त****, गवाह सहित थाना वापस आया था, वापसी रोजनामचा सान्हा क्रमांक* ***63, दिनांक 29/06/2021*** *में दर्ज है, जो* ***प्रपी–41*** *है, जिसकी प्रति* ***प्रपी–41सी*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 15 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"थाना वापस आकर मैने* ***अभियुक्त*** *के खिलाफ* ***प्रथम सूचना रिपोर्ट*** *दर्ज की थी, जो* ***प्रपी–42*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 15 के दूसरे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की

है कि *"मैने जप्तशुदा माल एवं उसमें से निकाले गये सैंपल पैकेट को सीलबंद हालत में थाना के मालमुंशी को सुरक्षार्थ रखे जाने हेतु प्रदान की थी, मालमुंशी के द्वारा मुझे* ***जप्ती माल सुपुर्दनामा पावती*** *प्रदान किया गया था, जो* ***प्रपी–30*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 15 के पांचवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने थाना के प्रधान आरक्षक/मोहर्रिर को माल सुपुर्दनामा में देने के संबंध में रोजनामचा सान्हा क्रमांक* ***65, दिनांक 29/06/2021*** *में दर्ज है, जो* ***प्रपी–43*** *है, जिसकी प्रति* ***प्रपी–43सी*** *है ।"*

18– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) ने आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 16 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने उपरोक्त* ***संपूर्ण कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन धारा 57*** *एनडीपीएस एक्ट के तहत अपने वरिष्ठ अधिकारी* ***नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन रायपुर*** *को प्रेषित की थी, जो* ***प्रपी–29*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 17 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने इस प्रकरण में बरामद* ***नशीला कैप्सूल एवं कफ सिरप के सैंपल पैकेट*** *को सीलबंद अवस्था में* ***भौतिक परीक्षण*** *हेतु* ***औषधि निरीक्षक कार्यालय*** *रायपुर, आरक्षक क्र. 923 मनोज सिंह के माध्यम से प्रेषित की थी, जिसकी* ***तहरीर प्रपी–32*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी

कंडिका 17 के चौथे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"परीक्षण उपरांत रिपोर्ट औषधि निरीक्षक कार्यालय से* ***रिपोर्ट*** *मय सैंपल पैकेट प्राप्त हुआ था, जिसे मैने अभियोग पत्र के साथ संलग्न की हूँ, जो* ***प्रपी–33*** *है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 17 के छठवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"औषधि निरीक्षक के यहां भेजे गये सैंपल को मैने* ***औपचारिक जप्ती कर,*** *परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर मय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ड्राफ्ट सहित भिजवायी थी और एफएसएल कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त हुआ था कि जप्त किये गये नशीला* ***कैप्सूल में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराईड नामक मादक द्रव्य एवं कोरेक्स सिरप में भी मादक द्रव्य होना पाया गया था।"***

19– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) ने आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 18 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मैने जिस आरक्षक को स्वतंत्र गवाहों को आहूत करने भेजी थी और जिस आरक्षक के जरिए सीएसपी सिविल लाईन रायपुर को सूचना से संबंधित डाक प्रेषित की थी और आरक्षक को औषधि कार्यालय एवं एफएसएल कार्यालय भेजी थी, उक्त आरक्षकों को कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी की थी, इस प्रकरण में उपरोक्त कार्यवाही किये जाने के पश्चात् मैने प्रकरण की केस डायरी संकलित साक्ष्य थाना प्रभारी/निरीक्षक को सौप दी थी, तदउपरांत इस प्रकरण में*

अग्रिम विवेचना तत्कालिन ***उपनिरीक्षक उमाशंकर राठौर के द्वारा किया गया है*** *।"*

यह साक्षियां आगे ऐसा भी अभिकथन की है कि *"श्री उमाशंकर राठौर के द्वारा इस प्रकरण के विवेचना के दौरान गवाह शुभम कारवानी, मिलन तोलानी, आरक्षक घनश्याम, आरक्षक मनोज सिंह, आरक्षक अमित सिन्हा, आरक्षक रामनारायण, आरक्षक अनिल भगत तथा मेरा कथन हम लोगो के बताये अनुसार दर्ज किये है । "* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 19 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मै श्री* ***उमाशंकर राठौर के साथ थाना तेलीबांधा में कार्य की हूँ,*** *इसलिए उनके हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि को पहचानती हूँ ।"*

20– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) के न्यायालयीन कथनों परिशीलन एवं अभिलेख में संलग्न प्रदर्श पी–2 एवं पी–3 के अवलोकन से ऐसा स्पष्ट होता है कि की कंडिका 16 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) के द्वारा एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 की **धारा 42 (2)** के आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुये रेड कार्यवाही किया गया है । न्यायालय में परीक्षित करायी गयी प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) के न्यायालयीन कथनों के परिशीलन एवं अभिलेख में संलग्न प्रदर्श पी–4 एवं 7 के अवलोकन से ऐसा भी स्पष्ट होता है कि प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी

उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) के द्वारा एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 की **धारा 50** के आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुये, रेड कार्यवाही किया गया है ।

21– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) के न्यायालयीन कथनों परिशीलन एवं अभिलेख में संलग्न प्रदर्श पी–29 के अवलोकन से ऐसा भी स्पष्ट होता है कि प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) के द्वारा एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 की **धारा 57** का पालन करते हुये रेड कार्यवाही किया गया है ।

22– इस प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) के द्वारा रेडस्थल पर अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त दर्शित किये गये प्रतिबंधित नशीला टेबल एवं सिरप के सैम्पलिंग की कार्यवाही की गयी है, इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 के प्रावधानो के अनुसार दिनांक 23 दिसंबर 2022 के पूर्व मादक पदार्थ की सैम्पलिंग कार्यवाही मौके पर ही स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष विधिवत की जाती रही है, जिन्हें अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त करना दर्शित किया गया है । उनका ऐसा भी तर्क कि एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 की धारा 52–क के संबंध में ''नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोटोपिक्स सब्सटेन्स (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022'' के दिनांक 23 दिसंबर 2022 को लागू होने के पूर्व तक सैम्पलिंग किये जाने हेतु यह व्यवस्था प्रभावशील रहा है और इस प्रकरण की रेडकर्ता

अधिकारी के द्वारा भी सैम्पलिंग की कार्यवाही रेडस्थल पर विधिवत स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष किया गया है, ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 की धारा 52–क के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष सैम्पलिंग कार्यवाही नहीं की गयी है, इस प्रकरण में किये गये संपूर्ण रेड कार्यवाही को दूषित नहीं माना जा सकता है, इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *क्रिमिनल अपील नंबर 250/2025 भारत आमबेले विरूद्ध छ.ग.राज्य में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी 2026* की छायाप्रति प्रस्तुत कर, तर्क किया गया है कि मात्र एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 की **धारा 52–क** का विधिवत पालन न किये जाने के आधार पर ही अभियोजन के मामले को संदेहास्पद होना नहीं कहा जा सकता है ।

23– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने थाना तेलीबांधा के मालखाना प्रभारी सेवानिवृत्त सहायक उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार साहू (अ.सा.क्र.09) का भी कथन न्यायालय में दर्ज कराया है, जो अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 1 के दूसरे लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"मैं आज थाना में संधारित मूल जप्ती माल रजिस्टर, परीक्षण उपरांत एफएसएल कार्यालय से प्राप्त दो सीलबंद सैंपल पैकेट **आर्टिकल ए–1** एवं **ए–2** तथा प्रकरण में जप्तुशदा सीलबंद सिरप **आर्टिकल ए–3** एवं नशीला कैप्सूल प्रदर्श ए–1 **आर्टिकल ए–4 एवं** प्रदर्श ए–2 **आर्टिकल ए–5** सीलबंद अवस्था में अपने साथ लेकर आया हूँ ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन

में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *" दिनांक **29/06/2021** को थाना **तेलीबांधा** में तैनात उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा द्वारा थाना में दर्ज अपराध कमांक **232/2021** के रेड कार्यवाही के दौरान एक सीलबंद पैकेट में 01 नग स्पास ट्रांकन प्लस कैप्सूल जिसे तौल हेतु निकाला गया था, प्रदर्श **ए–1** चिन्हांकित किया गया तथा एक एक सीलबंद पैकेट में स्पास ट्रांकन प्लस कैप्सूल का एक पत्ता जिसमें कुल 07 नग कैप्सूल, एक पत्ता में 8 नग कैप्सूल थे, जिसमें से एक नग कैप्सूल तौल हेतु निकाला गया था, जिसे प्रदर्श **ए–2** से चिन्हांकित किया गया था एवं एक सीलबंद पैकेट में 07 नग शीशी कोरेक्स कफ सिरप, जिसे **बी–1** से चिन्हांकित किया गया था ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 2 के छठवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"एक सीलबंद पैकेट में सफेद रंग का झोला प्रदर्श **सी** तथा परीक्षण हेतु निकाले गये सैंपल पैकेट प्रदर्श **ए** एवं प्रदर्श **बी** सीलबंद अवस्था में लाकर मुझे सौपी थी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचा सान्हा दिनांक **29/06/2021** में दर्ज है, मैने उक्त संपत्ति को प्राप्त कर, मैने उक्त संपत्ति प्राप्त कर थाना के मालखाना में सुरक्षित रखे जाने बाबत् प्रकरण के **रेडकर्ता अधिकारी को पावती** प्रदान किया था, जो **प्रपी–30** है ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 2 के बारहवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मैने उक्त संपत्ति प्राप्त कर, थाना में संधारित मालखाना **रजिस्टर के कमांक 73** में किया था, जो **प्रपी–31** है, जिसकी सत्यापित प्रति **प्रपी–31सी** है ।"*

24– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी सुरेंद्र कुमार साहू (अ.सा.क्र.09) ने आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"प्रकरण रेडकर्ता अधिकारी के निर्देश पर इस प्रकरण में* ***मालखाना में सुरक्षित रखे गये कफ सिरप एवं नशीली कैप्सूल*** *के सैंपल पैकेट को परीक्षण हेतु औषधि निरीक्षक कार्यालय में परीक्षण हेतु थाना के आरक्षक क्रमांक 923 मनोज सिंह को दिनांक* 30/06/2021 *को प्रदान किया था, जिसकी प्रविष्टि मैने जप्ती माल रजिस्टर में किया हूँ,* ***औषधि निरीक्षक कार्यालय*** *से दिनांक* ***02/07/2021 क***ो *परीक्षण उपरांत सीलबंद अवस्था में सैंपल पैकेट प्राप्त हुआ था, जिसे मैने थाना के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा था, जिसकी प्रविष्टि मैने जप्ती माल रजिस्टर में किया हूँ।"*

25– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी सुरेंद्र कुमार साहू (अ.सा.क्र.09) ने आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"दिनांक* ***03/07/2021*** *को* ***औषधि निरीक्षक कार्यालय*** *से परीक्षण उपरांत प्राप्त* ***दो सीलबंद सैंपल पैकेट को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर*** *में परीक्षण कराये जाने के प्रयोजन से थाना के आरक्षक क्रमांक 2375 घनश्याम देवांगन को प्रदान किया था, जिसकी प्रविष्टि मैने जप्ती माल रजिस्टर में किया हूँ, उक्त आरक्षक सैंपल पैकेट को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में जमाकर उसकी पावती लाकर मुझे सौपा था, जिसे मैने प्रकरण के*

रेडकर्ता अधिकारी/विवेचना अधिकारी को सौप दिया था ।" यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 5 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"इस प्रकरण मे जप्त किये गये नशीला कैप्सूल एवं कफ सिरप का वो दो सीलबंद सैंपल पैकेट, जो* ***राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में परीक्षण हेतु भेजा गया था*** *और परीक्षण उपरांत वापस थाना में प्राप्त हुआ था, उसे आज मैं न्यायालय में लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो क्रमशः* ***आर्टिकल ए–1*** *एवं* ***आर्टिकल ए–2*** *तक है।"*

26– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने रेडस्थल पर उपस्थित बताये गये पुलिस फोर्स के सदस्य अभियोजन साक्षियों रामनारायण पटेल (अ.सा.क्र.04) एवं प्रशांत कौरव (अ. सा.क्र.06) का भी कथन न्यायालय में दर्ज कराया है । रेडस्थल पर उपस्थित बताये गये पुलिस फोर्स के सदस्य अभियोजन साक्षियों रामनारायण पटेल (अ.सा.क्र.04) एवं प्रशांत कौरव (अ.सा.क्र.06) के द्वारा इस प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) के न्यायालयीन कथनो का पूर्णत समर्थन किया गया है, इन दोनों पुलिस फोर्स के सदस्य अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथन परस्पर एक–दूसरे के न्यायालयीन कथनों से समर्थित है, बचाव पक्ष के द्वारा उनसे किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास या लोप प्रगट नहीं हुआ है, जिससे उनके न्यायालयीन कथनों पर अविश्वास किया जा सके ।

27– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने रेडस्थल पर उपस्थित बताये गये स्वतंत्र

अभियोजन साक्षियों मिलन तोलानी (अ.सा.क्र.01) एवं शुभम् कारवानी (अ.सा.क्र.03) का भी कथन न्यायालय में दर्ज कराया है, इन दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये हैं । न्यायालय में परीक्षित कराये गये स्वतंत्र अभियोजन साक्षी मिलन तोलानी (अ.सा.क्र.01) ने अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 1 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व मै थाना तेलीबांधा रायपुर मोबाईल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, उसी समय वहां पर मौजूद* ***पुलिस अधिकारी द्वारा कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बोले, तब मैने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था ।"*** न्यायालय में परीक्षित कराये गये प्रकरण के दूसरे स्वतंत्र अभियोजन साक्षी शुभम् कारवानी (अ.सा.क्र.03) ने अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 1 के दूसरे लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व मै थाना तेलीबांधा रायपुर मोबाईल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, उसी समय वहां पर मौजूद* ***पुलिस अधिकारी द्वारा कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बोले, तब मैने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था ।"*** उपरोक्त दोनों स्वतंत्र अभियोजन साक्षियों ने रेडकर्ता अधिकारी दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) द्वारा मौके पर किये गये संपूर्ण कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों धारा 160 दंप्रसं की नोटिस, मुखबिर सूचना पंचनामा, सहमति पंचनामा, धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की नोटिस, स्वयं व हमराह स्टाफ का तलाशी पंचनामा, साक्षियों का तलाशी पंचनामा, आरोपी का सहमति पंचनामा, संदेही का

तलाशी पंचनामा, मादक द्रव्य बरामदगी पंचनामा, पहचान पंचनामा, तराजू का भौतिक सत्यापन पंचनामा, तौल पंचनामा, आरोपी से जप्त संपत्ति का जप्ती पत्रक, धारा 91 दंप्रसं की नोटिस, तलाशी पश्चात् स्वयं की, हमराह स्टाफ एवं गवाहों का तलाशी पंचनामा, आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक, आरोपी को दी गई गिरफ्तारी की सूचना, नमूना सील चपड़ा पंचनामा, नजरी नक्शा एवं पटवारी नजरी नक्शा पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं । एनडीपीएस एक्ट, 1985 के अधीन किये गये रेड कार्यवाही में यदि मौके पर उपस्थित स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन न किया जाये, तब ऐसी स्थिति में, अभियोजन के मामले को संदेहास्पद होना नहीं माना जा सकता है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये न्यायदृष्टांत (1) ***संजय कुमार विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2019 (4) CDHC 1967 (C.G.)*** (2) ***मोहम्मद जहीर विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2019 CRLJ 3146*** (3) ***गणेशराम विरूद्ध मध्यप्रदेष राज्य कि.लॉ.रि. 2006–675 म.प्र.*** (4) ***कार्तिकराम विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य, छ.ग. लॉ. ज. 2007 (2)–17 छ.ग.*** (5) ***अंजनी तिवारी व अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2013 (4) छ.ग.लॉ.ज. 273*** अवलोकनीय है।

28– उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा स्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि तलाशी, बरामदगी एवं जप्ती के स्वतंत्र अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन न भी किया हो

और वे पक्षद्रोही भी हो गये हों, किन्तु वे जप्ती पत्रक और अन्य दस्तावेजों में अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हों और रेड के दौरान तैयार किये गये दस्तावेजों पर भी अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हो, तथा ऐसे प्रकरण के विवेचना अधिकारी एवं मौके पर उपस्थित अन्य पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपने अखण्डित न्यायालयीन कथनों के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन किया गया हो, और प्रकरण में जप्तशुदा प्रतिबंधित टेबलेट को खाद्य एवं औषधि प्रशासन में परीक्षण उपरांत प्रतिबंधित मादक औषधि होना पाया गया हो, तब प्रकरण के उपरोक्त परिस्थितियों में जप्ती पत्रक के दोनों स्वतंत्र अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन नहीं किये जाने के बावजूद भी अभियोजन के मामले को संदेहास्पद होना नहीं कहा जा सकता है । उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में, तलाशी, बरामदगी एवं जप्ती से संबंधित कार्यवाही से संबंधित दोनों स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन नहीं किये जाने के आधार पर अभियोजन के मामले को संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता है ।

29– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी सूरज सिंह चेलक (अ.सा.क्र.08) का कथन भी न्यायालय में दर्ज कराया है, जो अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"दिनांक **28/06/2021** को समय **22:30 बजे** थाना तेलीबांधा रायपुर के आरक्षक द्वारा मुझे मुखबिर सूचना पंचनामा एवं तलाशी वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा का डाक मय ज्ञापन नगर*

पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन रायपुर के नाम पर लाकर दिया था, जिसे प्राप्त कर मैने ***पावती*** *दिया था, ज्ञापन* ***प्रपी–28*** *है ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"दिनांक* ***29/06/2021*** *को थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक* ***232/2021,*** *धारा 21ख, 22 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी के आधिपत्य से किये गये मादक पदार्थ के* ***अभिग्रहण एवं उसकी गिरफ्तारी तथा रेड स्थल पर किये गये कार्यवाही से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट का प्रतिवेदन*** *थाना तेलीबांधा रायपुर के आरक्षक के द्वारा* ***11:10 बजे*** *लाकर दिया गया था, जिसे प्राप्त कर मैने प्रतिवेदन के द्वितीय प्रति में उसकी* ***पावती*** *प्रदान किया था, जो* ***प्रपी–29*** *है ।'*

30– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी घन–श्याम देवांगन (अ.सा.क्र.05) ने अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"दिनांक* ***03/07/2021*** *को थाना प्रभारी द्वारा मुझे अपराध क्र.* ***232/2021,*** *धारा 21बी, 22 एनडीपीएस एक्ट में जप्तशुदा दो सैंपल सीलबंद अवस्था में मय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ड्राफ्ट* ***प्रपी–24*** *सहित एफएसएल कार्यालय में जमाकर पावती प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया था, जिसके पालन में मैं उक्त* ***ड्राफ्ट एवं सैंपल एफएसएल कार्यालय में जमाकर पावती*** *प्राप्त की थी, प्रदर्श* ***प्राप्ति रसीद प्रपी–25*** *है, उक्त कार्य हेतु मुझे कर्तव्य प्रमाण पत्र दिया गया था, जो*

प्रपी–26 *है ।"*

31– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त दर्शित किये गये टेबलेट एवं सिरप का परीक्षण करने वाले औषधि निरीक्षक अभियोजन साक्षी टेकचंद घिरहे (अ.सा.क्र.10) का भी कथन न्यायालय में दर्ज कराया है, जो अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"दिनांक **30/06/2021** को कार्यालय निरीक्षक थाना प्रभारी, थाना तेलीबांधा रायपुर के अपराध क्रमांक **232/2021,** धारा 21ख, 22ख एनडीपीएस एक्ट में जप्तशुदा टेबलेट एवं सिरप का **सीलबंद सैंपल पैकेट भौतिक परीक्षण** हेतु ज्ञापन **प्रपी–32** के साथ प्राप्त हुआ था, जिसके अ से अ भाग पर कार्यालयीन की पावती अंकित है ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मैने उक्त मनः प्रभावी टेबलेट एवं स्वापक औषधि सिरप का भौतिक परीक्षण उक्त औषधि के लेबल में उल्लेखित जानकारी के अनुसार किया गया था, मेरे द्वारा परीक्षण कर परीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया गया था, जो **प्रपी–33** है ।"* न्यायालय में परीक्षित कराये गये औषधि निरीक्षक अभियोजन साक्षी टेकचंद घिरहे (अ.सा.क्र.10) के न्यायालयीन कथनों के परिशीलन एवं अभिलेख में संलग्न प्रदर्श पी–33 के परीक्षण रिपोर्ट के परिशीलन से ऐसा स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त किये गये टेबलेट में Tramadol Hydrocholoride है, जो मनःप्रभावी पदार्थ की श्रेणी में आता है ।

32– इस प्रकरण में विवेचना के दौरान प्रकरण में जप्त किये गये मादक औषधि के सैंपल को परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भी भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में जप्त किये गये कैप्सूल व सिरप को परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजे जाने पर, उपरोक्त कैप्सूल पर आवश्यक भौतिक, रासायनिक एवं टी.एल.सी. परीक्षण किये गये, जिसमें **Tramadol** उपस्थित पाया गया एवं उपरोक्त सिरप पर आवश्यक भौतिक, रासायनिक एवं टी.एल.सी. परीक्षण किये गये, जिसमें **Codeine** उपस्थित पाया गया । राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर का उपरोक्त रिपोर्ट उनके वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं सहायक रासायनिक परीक्षक डॉ.पी.ताम्रकार एवं वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. एस. के.वैष्णव के द्वारा थाना **तेलीबांधा,** रायपुर के अपराध क्रमांक **232/2021** में जप्त किये गये नशीला कैप्सूल/टेबलेट एवं सिरप क संबंध में तैयार किया गया है और उक्त परीक्षण रिपोर्ट का **परीक्षण परिणाम** में ऐसा उल्लेख किया गया है कि "1. प्रदर्श ए–1, ए–2, ए–3, ए–4, ए–5, ए–6, ए–7 एवं ए–8 में **Tramadol** उपस्थित है, 2. प्रदर्श बी–1 एवं बी–2 में **Codeine** उपस्थित है । " जिससे ऐसा स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के आधिपत्य से जो टेबलेट व सिरप जप्त किया गया है, वे एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 की अनुसूची में दर्ज प्रतिबंधित मनःप्रभावी पदार्थ/मादक औषधि हैं, तथा वैज्ञानिक अधिकारी व सहायक रासायनिक परीक्षक के द्वारा स्वहस्ताक्षरित परीक्षण रिपोर्ट, दण्ड

प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अधीन बिना ऐसे वैज्ञानिक अधिकारी व सहायक रासायनिक परीक्षक का कथन न्यायालय में दर्ज कराये ही साक्ष्य में ग्राह्य है ।

33– इस प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से प्रतिबंधित मादक औषधि SPA - TRANCAN PLUS कैप्सूल कुल 16 नग कैप्सूल का वजन 9.6 ग्राम तथा CUREX COUGH SYRUP कुल 9 नग शीशी/बाटल, प्रत्येक मे 100 एमएल भरा हुआ कुल मात्रा 900 एमएल जप्त किया जाना दर्शित होता है, जिसके संबंध में बचाव पक्ष का ऐसा तर्क है कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि बरामदगी, तलाशी एवं जप्ती से संबंधित दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है । इस संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई पक्ष यदि किसी तथ्य के संबंध में कोई अभिकथन करता है अथवा बचाव लेता है, तब ऐसे तथ्य को प्रमाणित करने का प्रमाण भार उसी पक्ष पर होता है, अतः इस प्रकरण में यह प्रमाण भार बचाव पक्ष का है कि वे इस तथ्य को प्रमाणित करें कि प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र. 11) सहित न्यायालय में परीक्षित कराये गये अन्य अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त किये गये उपरोक्त प्रतिबंधित नशीला टेबलेट एवं प्रतिबंधित नशीला सिरप के संबंध में प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) द्वारा किये गये कार्यवाही के संबंध में अपने शपथपूर्वक किये गये न्यायालयीन कथन में मिथ्या अभिकथन क्यों किया जा रहा है ? और उन्हें प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11)

के द्वारा इस प्रकरण में किन कारणों से झूठा फंसाया जा रहा है ? किन्तु बचाव पक्ष के द्वारा अपने बचाव में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मामला तैयार किया गया है एवं न्यायालय में परीक्षित कराये गये अन्य अभियोजन साक्षियों के द्वारा जप्तीकर्ता/ रेडकर्ता अधिकारी दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) के द्वारा न्यायालय में मिथ्या अभिकथन किया गया है ।

34– इस प्रकरण में गौर किये जाने योग्य अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभियुक्त के आधिपत्य से प्रतिबंधित मादक औषधि प्रतिबंधित मादक औषधि SPA - TRANCAN PLUS कैप्सूल कुल 16 नग कैप्सूल का वजन 9.6 ग्राम तथा CUREX COUGH SYRUP कुल 9 नग शीशी/बाटल, प्रत्येक मे 100 एमएल भरा हुआ कुल मात्रा 900 एमएल जप्त किया गया है, जिसके संबंध में बचाव पक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है कि प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) इतनी अधिक मात्रा में उपरोक्त प्रतिबंधित नशीला मनःप्रभावी पदार्थ/मादक औषधि प्राप्त करेगा ? एवं उपरोक्त प्रतिबंधित मनःप्रभावी पदार्थ/मादक औषधि को इस प्रकरण के अभियुक्त के कब्जे से ही जप्त होने का अभिकथन क्यों करेगा ? इस प्रकरण में बचाव पक्ष के द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रकरण की रेडकर्ता अधिकारी दिव्या शर्मा (अ.सा.क्र.11) का अभियुक्त से कोई पुराना

रंजिश था अथवा अन्य ऐसा कोई कारण या वजह मौजूद था, जिसके कारण प्रकरण का जप्तीकर्ता अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध मिथ्या प्रकरण तैयार करे, जबकि ठीक इसके विपरीत अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के कब्जे से एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 में वर्णित किये गये आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुये तलाशी, बरामदगी एवं जप्ती इत्यादि की कार्यवाही को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है और अभियुक्त से जप्त मनःप्रभावी पदार्थ/मादक औषधि को भी वैज्ञानिक अधिकारी एवं सहायक रासायनिक परीक्षक के द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरांत अभियुक्त से दर्शित किये गये टेबलेट में **Tramadol** एवं अभियुक्त से जप्त दर्शित किये गये सिरप में **Codeine** मनः प्रभावी पदार्थ होना दर्शित किया गया है और अभियुक्त ने अपने आधिपत्य से बरामद किये गये उपरोक्त मनःप्रभावी पदार्थ/मादक औषधि के संबंध में रेड कार्यवाही, प्रकरण के विवेचना अथवा विचारण के दौरान ऐसा कोई वैधानिक दस्तावेज अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उपरोक्त मादक औषधि अभियुक्त के वैधानिक आधिपत्य में था ।

35– इस प्रकरण में उपरोक्त किये गये संपूर्ण साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त **दयाराम यादव उर्फ गोलू** पिता राहुल यादव के विरूद्ध अपना मामला अंतर्गत **धारा 21 (B) एवं 22 (B) एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985** युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है। अतः उपरोक्त अभियुक्त को उपरोक्त धारा के

आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है । निर्णय लेखन कार्य अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु अल्प समय तक स्थगित रखा गया ।

सही/–
(पंकज कुमार सिन्हा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट)
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

पश्चात :–

36– दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, उनका तर्क एवं निवेदन है कि यह अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम प्रमाणित अपराध है, अतः उन्हें दण्ड देते समय अत्यंत उदारता बरता जावे । विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया, एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया, यह सही है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के पूर्व दोषसिद्ध होने से संबंधित कोई प्रमाण प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है, अतः ऐसा संभाव्य हो सकता है कि यह अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम प्रमाणित अपराध हो, किंतु इस प्रकार में जिस प्रकार से अभियुक्त के आधिपत्य से प्रतिबंधित मनःप्रभावी पदार्थ/मादक औषधि नशीला कैप्सूल एवं सिरप जप्त किये जाने से संबंधित अपराध प्रमाणित होना पाया गया है और जिस प्रकार से छ.ग.राज्य में नशीला सिरप एवं टेबलेट के माध्यम से नशा की प्रवृत्ति बढ़ी है और पूरा राज्य इसकी चपेट में आते जा रहा है, उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये भी जहां एक ओर अभियुक्त के प्रति दण्ड के प्रश्न पर उदारता बरते जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, वहीं दूसरी

अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित अपराध ऐसी प्रकृति का नहीं है, कि उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जा सके।

37– प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता पर विचार करते हुये अभियुक्त **दयाराम यादव उर्फ गोलू** पिता राहुल यादव को **स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21 (B) एवं 22 (B)** की दोषसिद्धि पर **क्रमशः 05–05 (पांच–पांच) वर्ष के कठोर कारावास** एवं **50,000–50,000/– (पचास–पचास हजार) रूपये** के अर्थदंड से दंडित किया जाता है । अभियुक्त के द्वारा अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम होने की दशा में उसे प्रत्येक **50,000–50,000/– (पचास–पचास हजार) रूपये** के एवज में **01–01 (एक–एक) वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त** भुगताया जावे । उपरोक्त अभियुक्त के द्वारा इस प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को, उसे दिये गये कारावास की सजा से विधिवत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप मुजरा किया जावे । अभियुक्त को दी गयी कारावास की सभी सजायें **साथ–साथ भुगतायी जावे ।**

38– इस प्रकरण में अभियुक्त को दिनांक 29.06.2021 को गिरफ्तार किया गया तथा वह दिनांक 29.06.2021 से दिनांक 02.11.2021 तक **कुल 126 दिन** न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है । इस संबंध में पृथक से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **428**

का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।

39– इस प्रकरण में अपील नहीं होने की दशा में, अपील अवधि पश्चात प्रकरण में जप्त किये गये प्रतिबंधित मादक औषधि नशीला कैप्सूल एवं सिरप का निराकरण/नष्टीकरण एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 की धारा 52–ए के तहत् गठित ड्रग डिस्पोजल कमेटी के द्वारा विधि अनुसार किया जाये तथा प्रकरण में अपील होने की दशा में समस्त जप्त सामग्रियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे ।

40– निर्णय की निःशुल्क एक प्रतिलिपि तत्काल **अभियुक्त** को प्रदान की जावे तथा निर्णय की एक प्रतिलिपि सजा वारंट के साथ **जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, रायपुर** को सजा भुगताये जाने बाबत प्रेषित किया जावे एवं निर्णय की एक प्रतिलिपि विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से **जिला दण्डाधिकारी, रायपुर** को प्रेषित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/–
(पंकज कुमार सिन्हा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट)
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

मेरे निदेशन पर टंकित।

सही/–
(पंकज कुमार सिन्हा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट)
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

विशेष दांडिक प्रकरण (एन.डी.पी.एस.) क्र. 108/2021
छत्तीसगढ़ राज्य विरूद्ध दयाराम यादव उर्फ गोलू

<u>प्रमाण पत्र</u>

मैं पुष्टि करता हूं, कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल निर्णय/आदेश/कथन में टंकित की गयी है ।

वरिष्ठ निज सहायक का नाम : विनोद कुमार तम्बोली

विशेष दांडिक प्रकरण (एन.डी.पी.एस.) क्र. 108/2021
छत्तीसगढ़ राज्य विरूद्ध दयाराम यादव उर्फ गोलू

विशेष दांडिक प्रकरण (एन.डी.पी.एस.) क्र. 108/2021
छत्तीसगढ़ राज्य विरूद्ध दयाराम यादव उर्फ गोलू